12 खरीद केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर होगी गेंहू की खरीद

■ इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी

अजमेर, (कासं)। अजमेर क्षेत्र के 12 खरीद केन्द्रों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम के मण्डल प्रबन्धक राकेश कुमार ने बताया कि निगम मण्डल अजमेर के अधीनस्थ राजस्व जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, नागौर में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद अधिक से अधिक मात्रा में करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे सभी किसानों को अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सकेगा। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम अजमेर द्वारा इन जिलों में कुल 12 खरीद केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रस्तावित खोले जाने वाले 12 खरीद केन्द्रों में से जिला अजमेर में केकड़ी एवं कादेड़ा, जिला ब्यावर में बिजयनगर, जिला भीलवाड़ा में भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, मांडलगढ़, शाहपुरा, जहाजपुर एवं कोटडी, जिला पाली में सुमेरपुर एवं तखतगढ़ तथा जिला नागौर में नागौर है। किसानों को सरकारी खरीद केंद्रो पर कणक एवं गेंहू बेचान मे किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई होने पर सहायता के लिए टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 18001806030 पर संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम के दिशा निर्देशानुसार राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित खरीद केन्द्रों पर हर वर्ष की तरह रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत गेहूं की खरीद का कार्य भारतीय खाद्य निगम डिपो ऑनलाइन सिस्टम के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा एक जनवरी से किसानों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। इसके लिए किसानों को अपना पंजीकरण पोर्टल उेचचतवबण्तरेंजींदण्हवअण्पद पर ई-मित्रा, अटल सेवा केंद्र एवं अन्य माध्यम से करवाना होगा। सरकारी खरीद केंद्र पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद 10 मार्च से शुरू हो रही है। किसान द्वारा गेहूं बेचते समय पंजीकरण पोर्टल से टोकन जारी कराने से गेहूं खरीद सुविधापूर्वक हो सकेगी। साथ ही रविवार एवं राजकीय अवकाश के दिन टोकन जारी कराने से बचना चाहिए।

उन्होंने बताया कि किसान अपने जन आधार कार्ड तथा बैंक अकाउंट में मिसमैच त्रुटि को समय रहते ठीक करवाए। जमीन की हकदारी संबंधी विसंगतियों को ठीक करवाए। किसान अपनी गिरदावरी भी चेक करें। कोई भी त्रुटि हो तो उसे ठीक करवाएं।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल है।

यह गत वर्ष से 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार के द्वारा 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस निर्धारित किया गया था। इसे बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है। इन्हें मिलाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2575 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। भारत सरकार द्वारा किसानों को अपने नजदीकी खरीद केंद्र पर फसल बुवाई की प्रमाणिकता के लिए आवश्यक दस्तावेजों की समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार साफ सुथरा गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचने एवं उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने की अपील की गई है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में गेहूं बेचने के 48 घंटों में नियमानुसार कर दिया जाएगा।

चांद दिखने पर पहला रोजा दो मार्च को

■ रमजान में प्रतिदिन पांच नमाज व पांच रात का विशेष महत्व

अजमेर। इस्लाम धर्म में इबादत के लिए पवित्र माह रमजान है। इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना रमजान होता है। वर्ष 2025 में रजमान माह 1 मार्च से शुरू हो रहा है, 1 मार्च को चांद दिखाई देने पर देर रात तरावीह की विशेष नमाज और रमजान का पहला रोजा 2 मार्च को रखा जाएगा। इस बार रमजान माह में 4 जुमा होंगे। जुमा के दिन दरगाह सहित सभी मस्जिदों में विशेष नमाज अदा होगी। अजमेर शहर काजी तौसिफ अहमद सिद्दीकी ने बताया कि इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना रमजान है। इस्लाम धर्म में रमजान का महीना इबादत के लिए पवित्र माना जाता है। रमजान में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और शैतानी ताकतें कैद हो जाती हैं।

उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इबादत करता और रोजे रखता है, उसके सब गुनाह माफ हो जाते हैं और दुआएं कबूल होती हैं। उन्होंने बताया कि रमजान माह का चांद दिखाई देने के साथ ही 2 मार्च को पहला रोजा होगा। शहर काजी सिद्दीकी ने बताया कि रोजा रखने वाले लोगों द्वारा कुरआन पढ़ी जाती है और रोजा रखा जाता है। प्रत्येक स्वस्थ बालिग व्यक्ति रोजे रख सकता है। रोजा रखने के बाद शाम को खजूर व फल से रोजा खोला जाता है, जिसे रोजा इफ्तार कहते हैं। खजूर से भूख और प्यास नहीं लगती, इसलिए रोजेदार खजूर से रोजा खोलते हैं। पांच नमाज अदा करने पर मिलता है इबादत का फल:शहर काजी सिद्दीकी ने बताया कि सूर्यास्त के डेढ़ घंटे बाद ईशा की नमाज होती है, रमजान महीने में विशेष रूप से तरावीह की नमाज होती है। इसमें प्रतिदिन 5 नमाज होती हैं। सूर्योदय से पहले फजर की नमाज, दोपहर को जोहर की, सूर्यास्त से पहले शाम को असर की, सूर्यास्त के बाद मगरिब की और सूर्यास्त के डेढ़ घंटे बाद ईशा की नमाज होती है। ईशा की नमाज के बाद तरावीह की नमाज होती है। एक रात की इबादत का फल एक हजार रात की इबादत जितना होता है। दस दिन का होता है ऐतकाफ:शहर काजी सिद्दीकी ने बताया कि रमजान माह की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं व 29वीं रात शब ए कद्र की मानी जाती है। शब ए कद्र की एक रात की इबादत का फल एक हजार रात की इबादत के समान होता है। इसके अलावा रमजान माह के आखिरी 10 दिन ऐतकाफ के माने जाते हैं। सदक़ा ए फित्र में एक व्यक्ति द्वारा एक किलो 633 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत दी जाती है, जो ईद की नमाज से पहले देनी होती है।

सबिना काठात की उपलब्धि को मिला सम्मान

■ जिला प्रशासन ने विद्यालय के लिए भूमि आवंटित की

■ सबिना काठात की उपलब्धि पर जिला प्रशासन का अहम कदम

ब्यावर। ब्यावर जिले की होनहार एथलीट सुश्री सबीना काठात ने हाल ही में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि को सम्मान देते हुए और खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला कलक्टर डॉ. महेन्द्र खडगावत द्वारा सबीना को खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध कराने का जो आश्वासन दिया गया था, उसे अब पूरा कर दिया गया है। प्रशासन ने ठाम बिराटिया कलां, तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 1761, रकबा 246.5584 हेक्टेयर में से 0.5265 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालय झीतड़ा को भवन हेतु शिक्षा विभाग को आवंटित कर दी है। यह आवंटन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर एवं तहसीलदार, रायपुर की अभिशंषा के आधार पर किया गया है, जिससे विद्यालय को खेल और शैक्षिणक गतिविधियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा मिल सकेगा सुश्री सबीना काठात की इस उपलब्धि ने न केवल उनके विद्यालय और परिवार को गर्वित किया है, बल्कि पूरे ब्यावर जिले को भी उत्साहित किया है। जिला प्रशासन का यह कदम खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।

'राजनीतिक दल जल्द से जल्द बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति की सूचना भिजवाए'

भीलवाड़ा। जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट प्रथम व बूथ लेवल एजेंट द्वितीय के तय फॉर्मेट में नियुक्ति की सूचना भर जिला निर्वाचन विभाग को अवगत कराये जिससे कि राज्य निर्वाचन आयोग को यह सूचना समय पर उपलब्ध कराई जा सके।

जिला निर्वाचन अधिकारी गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों द्वारा बूथ लेवल अभिकर्ताओं एजेंट की नियुक्ति के संबंध में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट प्रथम राजनीतिक दल द्वारा राज्य स्तर से जिला स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे एवं जिला स्तर पर नियुक्त एजेंट प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति कर सूचना अपडेट कर जिला निर्वाचन विभाग को भिजवाने का श्रम करें। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल एजेंट का संबंधित मतदाता सूची में नाम आवश्यक है एवं राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट की सूचना अपडेट होने से आगामी चुनाव में जिला प्रशासन के बूथ लेवल ऑफिसर से समन्वय कर कार्य करने से चुनावी कार्यों में आसानी होगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश मेहरा ने बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों से संबंधित सूचिया जल्द अपडेट कर भिजवाने की अपील की। बैठक में राष्ट्रीय राजनीतिक दल भाजपा, कांठोस, बसपा,आम आदमी पार्टी, माकपा के प्रतिनिधि व चुनाव शाखा से कैलाश शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक -न.प.बि/निर्माण.स्वी./2024/5769 **आम सूचना** दिनांक : 25.2.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद, गुजरने पर कोई उज्र / आपति मान्य नहीं होगी।

भवन निर्माण

फाइल नं.	आवेदक नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
328	सुरेन्द्र जोशी पुत्र हरिद्वार जोशी	इन्दिरानगर बिजयनगर ब्लॉक नं. बी भू.सं. 36 (1)	92.90 SQ.MTR	आवासीय
329	रूपचन्द अजमेरा पुत्र जयकुमार अजमेरा	सरोजकीर्तिनगर बरल द्वितीय ख.सं. 1016 भू.सं. 44 का पूर्वी हिस्सा	111.48 SQ.MTR	आवासीय
330	हसीना बेगम पत्नि इस्लामुद्दीन मंसूरी	वैभव विहार कॉलोनी चौसला बिजयनगर ख.सं. 4122, 4454 /4121, 4460/4098, 4096 भू.सं. 12	92.90 SQ.MTR	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 17.03.2025 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

अजमेर, मदनगंज कृष्णगढ़, 111760700024230, 4239, पीआर मार्ग अजमेर, 125030700015005, 125030730031063, 1076, भीलवाडा, गांधी नगर भीलवाडा, 116480700020236, शास्त्री नगर भीलवाड़ा, 116360700019330, 9380, 9386, 116360730017893, सुभाष नगर भीलवाडा, 116390700026426, 116390730039651, 9666,

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित का पालन करना होगा:- इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईएमडी के रूप में रू.10,000/- नीलामी के दिन नकद जमा कराना होगा (असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाएगा). बोलीकर्ता को वैध पहचना प्रमाण/पैन कार्ड साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपया 8089292353 पर संपर्क करें.

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

भीलवाड़ा मुख्य शाखा, भीलवाड़ा, राजस्थान
ई-मेल: bhilwa@bankofbaroda.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002(2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **स्व. श्री मदन गोपाल प्रजापत पुत्र श्री लक्ष्मण प्रजापत जरिये कानूनी वारिस श्री घीसू लाल प्रजापत पुत्र स्व. श्री मदन गोपाल प्रजापत एवं श्री प्रदीप प्रजापत पुत्र स्व. श्री मदन गोपाल प्रजापत एवं सह-ऋणी श्रीमती चन्दा देवी प्रजापत पत्नी स्व. श्री मदन गोपाल प्रजापत पर मांग सूचना दिनांक 15.07.2024** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 15.07.2024 को बकाया राशि रू. 5,95,056.85 (रूपये पांच लाख पचानवे हजार छप्पन एवं पैसे पचासी मात्र) (दिनांक 13.07.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 24, माह फरवरी, वर्ष 2025** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 15.07.2024 को बकाया राशि रू. 5,95,056.85 (रूपये पांच लाख पचानवे हजार छप्पन एवं पैसे पचासी मात्र) (दिनांक 13.07.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **बैंक ऑफ बड़ौदा, भीलवाड़ा मुख्य शाखा, भीलवाड़ा, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि स्व. श्री मदन गोपाल प्रजापत पुत्र श्री लक्ष्मण प्रजापत के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. ईडब्ल्यूएस क्वार्टर नं. आईएलजी 33, बापू नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान-311001 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट है। **सीमाएं-** उत्तर: क्वार्टर नं. आईएलजी 34, दक्षिण: क्वार्टर नं. आईएलजी 32, पूर्व: रोड़, पश्चिम: क्वार्टर नं. आईएलजी 15

स्थान: भीलवाड़ा हस्ता.
दिनांक: 24.02.2025 मुख्य प्रबन्धक एवं प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन उत्तर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक: LU2012/ADA/2024-25/101451 दिनांक- 25/02/2025

लोक सूचना

श्री SHRI AKBAR KHAN पुत्र श्री SHRI MEHBUB KHAN जाति CHITA निवासी 55, AMAVALI NADI, CHOURSIYAWAS, AJMER. श्री SHRI AZAD पुत्र श्री SHRI MAHBOOB KHAN जाति CHITA निवासी CHITA MANJIL, CHOURSIYAWAS ROAD, AJMER श्री SHRI SABIR KHAN पुत्र श्री SHRI MAHBUB KHAN जाति CHITA निवासी 40- A MAKARWALI ROAD, CHOURSIYAWAS, AJMER ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई आवासीय के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	चाचियावास अजमेर (अजमेर)	1. SHRI AKBAR, 2. SHRI AZAD, 3. SHRI SABIR	1967	8300	0.83
2.	चाचियावास अजमेर (अजमेर)	1. SHRI AKBAR, 2. SHRI AZAD, 3. SHRI SABIR	1967/2523	2400	0.24
3.	चाचियावास अजमेर (अजमेर)	1. SHRI AKBAR, 2. SHRI AZAD, 3. SHRI SABIR	1967/2524	9200	0.92
4.	चाचियावास अजमेर (अजमेर)	1. SHRI AKBAR, 2. SHRI AZAD, 3. SHRI SABIR	1967/2798	3700	0.37
5.	चाचियावास अजमेर (अजमेर)	1. SHRI AKBAR, 2. SHRI AZAD, 3. SHRI SABIR	1967/2799	5200	0.52
6.	चाचियावास अजमेर (अजमेर)	1. SHRI AKBAR, 2. SHRI AZAD, 3. SHRI SABIR	1968	2300	0.23
7.	चाचियावास अजमेर (अजमेर)	1. SHRI AKBAR, 2. SHRI AZAD, 3. SHRI SABIR	1969/2522	900	0.09
8.	चाचियावास अजमेर (अजमेर)	1. SHRI AKBAR, 2. SHRI AZAD, 3. SHRI SABIR	1969/2832	100	0.01
				कुल	3.21

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकान पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25/02/2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन उत्तर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक- न.नि/भवन/2024-25/13PAS =2559/M3-852 दिनांक: 27-2-25

आपत्ति सूचना

श्री उदय जैन, श्री नितिन जैन पुत्र श्री मुकेश जैन निवासी बाबू मोहल्ला केसरगंज अजमेर द्वारा एक भूख संख्या ए जो क्रिश्चयन गंज वैशाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सागर विहार कॉलोनी अजमेर मे स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 63.82 वर्गगज है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानसार हैं।

पूर्व - 40 फुट चौडा रोड पश्चिम - ऑपन प्लाट
उत्तर - सम्पूर्ण सम्पति का भाग सी दक्षिण - भूखण्ड संख्या बी

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध मे कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी काय दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तोवजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपति पर विचार नही किया जायेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक: योजना/2024-25/580 दिनांक: 25-02-25

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जय कुमार स्याल पुत्र श्री बलवन्त सिंह स्याल एवं श्रीमती मंजू पुरी पत्नी श्री हर्ष राय पुरी निवासी A363 वैशाली नगर, जयपुर के द्वारा नगर निगम की शास्त्रीनगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या E-35 क्षेत्रफल 400 वर्गगज को अपने नाम से नामान्तरण करवाये जाने बाबत दस्तावेज संलग्न कर आवेदन सं. LSG/AJMER/MUT/2023-24/119746 दिनांक 05.02. 2025 को नामान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त भूखण्ड मूल आवंटी श्री बलवन्त सिंह स्याल पुत्र श्री लाल बहादुर स्थाल के नाम से आवंटित है जिसका लीज डीड पट्टा दिनांक 26.03.1971 संलग्न किया गया है। श्री बलवन्त सिंह स्याल का स्वर्गवास दिनांक 05.12.2008 को हो चुका है। सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर श्री जय कुमार स्याल (पुत्र) एवं श्रीमती मंजू पुरी (पुत्री) विधिक वारिस है। उक्त प्रकरण का निष्पादन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 116 के तहत आवेदित है जिसका निष्पादन धारा 118 के तहत प्रक्रियाधीन किया गया है। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आपति प्रकाशन से 07 कार्य दिवस के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को नगर निगम कार्यायल की योजना शाखा में देखने/पढ़ने के लिए खुला रखा गया है इस अवधि में किसी भी हितबद्ध व्यक्ति / आम खास को कोई आपति उज्र हो तो सूचना के प्रकाशन से 07 कार्य दिवस में मय पुरता दस्तावेजों के साथ अपनी आपति प्रस्तुत कर सकता है बाद मियाद नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा। (कीर्ति कुमावत) उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डलः अजमेर

क्रमांक: 1635 दिनांक: 25-02-2025

जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 2-थ-1, आनासागर सरक्यूलर रोड, अजमेर में श्रीमती सुशीला रानी सिंहल पत्नि श्री नारायण को आवंटित कर दिनांक 09.01.1986 को आवास का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्रीमती सुशीला रानी सिंहल पत्नि श्री नारायण द्वारा दिनांक 19.05.1994 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा आवास का पंजीयन करवा लिया गया है। पंजीयन पश्चात श्रीमती सुशीला रानी सिंहल पत्नि श्री नारायण द्वारा आवास का बैचान श्रीमती द्रौपती बदलानी पत्नि स्व. श्री नानकराम को दिनांक 09.08.1994 को कर दिया गया। श्रीमती द्रौपती बदलानी पत्नि स्व. श्री नानकराम बदलानी द्वारा आवास का बैचान श्री कमल बालानी पुत्र श्री विशम बालानी को दिनांक 30.12.2022 को किया गया। पुन: श्री कमल बालानी पुत्र श्री विशम बालानी ने आवास का बैचान श्री हरीश गोस्वामी पुत्र श्री चंचलगीरी गोस्वामी को दिनांक 09.01.2024 को किया गया जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2223 में पृष्ठ संख्या 93 क्रम संख्या 202403001100167 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5886 के पृष्ठ संख्या 44 से 55 पर दिनांक 09.01.2024 को चस्पा किया गया। अब श्री हरीश गोस्वामी पुत्र श्री चंचलगीरी गोस्वामी ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री हरीश गोस्वामी पुत्र श्री चंचलगीरी गोस्वामी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डलः अजमेर

क्रमांक: 1643 दिनांक: 27-02-2025

जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 4/17, योजना- पंचशील, शहर, अजमेर क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्री अनिल कुमार माथुर पुत्र श्री जगदम्बा को आवंटित कर दिनांक 02.12.1998 को मकान का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्री अनिल कुमार माथुर पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद द्वारा दिनांक 27.04.2011 को उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात् श्री अनिल कुमार माथुर पुत्र श्री जे.पी. (जगदम्बा प्रसाद) रॉय द्वारा आवास का बैचान श्रीमती राजेश्वरी शर्मा पत्नि श्री अशोक कुमार शर्मा को कर दिया गया। श्रीमती राजेश्वरी शर्मा पत्नि श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा अपने जीवनकाल में वसीयतनामा निष्पादित किया गया। श्रीमती राजेश्वरी शर्मा पत्नि श्री अशोक कुमार शर्मा की मृत्यु दिनांक 27.11.2020 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री गौरव शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा वसीयतनामा प्रस्तुत कर स्वयं के पक्ष में मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अब श्री गौरव शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा ने उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री गौरव शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-अजमेर

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

बोर्ड परीक्षा 2025 हेतु परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र तथा केन्द्र सामग्री डाउनलोड एवं कन्ट्रोल रूम की स्थापना के संदर्भ में सूचना बाबत

बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 हेतु उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के प्रवेश पत्र एवं माध्यमिक/प्रवेशिका/व्यावसायिक परीक्षा के प्रवेश पत्र दिनांक 27.02.2025 को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड कर दिये गये है, जिन्हें संबंधित शाला प्रधान/अग्रेषण अधिकारी उन्हें पूर्व प्रदत्त आई.डी./पासवर्ड से डाऊनलोड करके प्रवेश पत्रों की हार्ड कॉपी निकालकर उसमें मुद्रित सभी प्रविष्टियों की भली भांति जांचकर प्रमाणीकरण पश्चात् संबंधित परीक्षार्थियों को वितरित करेंगें। नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित शाला प्रधान तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित अग्रेषण अधिकारी (जहां से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र भरा है) डाऊनलोड कर सकेगें। **प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाईट https://rajeduboard.rajasthan.gov.in के BOARD MAIN EXAM - 2025 लिंक पर उपलब्ध होगें।**

ऐसे परीक्षार्थी जिनका शाला से नाम पृथक (NSO), उपस्थिति न्यून, अन्य कारणों से रोका गया (DETAINED) आवेदन पत्र निरस्त (REJECT) अथवा अन्य किसी भी प्रलेख की कमी के कारण अथवा जिन शालाओं ने बोर्ड से सम्बद्धता का वार्षिक शुल्क जमा नहीं कराया है उनके प्रवेश पत्र अपलोड नहीं किये जायेंगे। शाला द्वारा जिन छात्रों का नाम NSO, उपस्थिति न्यून अथवा अन्य कारण से रोका जाना है/आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है ऐसे छात्रों को प्रवेश पत्र वितरित नही करे यदि ऐसे प्रवेश पत्र वेबसाईट पर अपलोड हो गये है तो शाला प्रधान उपरोक्त कमियों वाले प्रवेश पत्रों को अपने स्तर पर रोककर केवल योग्य परीक्षार्थियों को ही प्रवेश पत्र वितरित करें। यदि किसी प्रवेश पत्र पर परीक्षार्थी का फोटो मुद्रित नहीं हो अथवा अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण हो तो शाला प्रधान/अग्र